

राजस्थान सरकार  
(जल संसाधन विभाग)

क्रमांक 16/भू0अ0/ज0स0/2014/

दिनांक

अधिसूचना

(राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबन्धन में कृषकों की सहभागिता अधिनियम, 2000 की धारा-8(1) के अन्तर्गत)

राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबन्धन में कृषकों की सहभागिता अधिनियम, 2000 (नियम 2002) की धारा-8(1) के अन्तर्गत वल्लभनगर सिंचाई परियोजना (सलग्न सूची) के सिंचित क्षेत्र की भूमि को उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ एतद् द्वारा सलग्न अनुसार परियोजना क्षेत्र घोषित किया जाता है।

सलग्न:-सूची।

आज्ञा से,

६०

जितेन्द्र दीक्षित  
उप सचिव एवं प्रावै. सहायक  
वास्ते मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन  
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक 16/भू0अ0/ज0स0/2014/ 144/3- 11/46

दिनांक : 23-05-2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ इस विभाग के जल संसाधन विभाग, उदयपुर प्रेषित है।

- 1-अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता जल संसाधन विभाग, उदयपुर।
- 2-निर्देशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री/अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र के विशेषांक में प्रकाशनार्थ प्रेषित है। कृपया प्रकाशन की सूचना से इस विभाग को यथा शीघ्र अवगत कराने की व्यवस्था करावे।
- 3-अधीक्षण अभियन्ता जल संसाधन वृत्त, उदयपुर।
- 4-अधिशापी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड, उदयपुर।

जितेन्द्र दीक्षित

उप सचिव एवं प्रावै. सहायक  
वास्ते मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन  
राजस्थान जयपुर।

कार्यालय अधिशापी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड, उदयपुर

क्रमांक:-अअ/टी/3111

दिनांक:- 11/6/19

प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता जल संसाधन

उपखण्ड गिर्वा उदयपुर, ~~गिर्वा उदयपुर~~ / ~~गिर्वा उदयपुर~~

~~प्रमुख सहायक~~ / ~~प्रमुख सहायक~~ को भेजकर लेख है कि  
वाञ्छित सूचना/पालना रिपोर्ट शीघ्रतिशीघ्र प्रस्तुत करावे।

अधिशापी अभियन्ता  
जल संसाधन खण्ड, उदयपुर

जल संसाधन खण्ड उदयपुर  
पत्र प्राप्ति क्रमांक 1311  
11/6/19

11/6/19

खलेस

सञ्जय



मूल एकांक

16/11/14

### अधिसूचना

(राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबन्ध में प्रदेश के कृषकों की सहभागिता अधिनियम 2000 की धारा 8(1) के अन्तर्गत)

राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबन्धन में कृषकों की सहभागिता अधिनियम 2000 के अन्तर्गत धारा 8(1) के अन्तर्गत सिंचाई प्रणाली के प्रबन्ध में कृषकों की सहभागिता के लिए और उससे सशक्त या अनुप्रासंगिक नियमों को उपलब्ध कराने हेतु सम्बन्धित सिंचाई प्रणाली के अधीन निम्न गाँवों चकों के अन्तर्गत आने वाले जल उपयोक्ता क्षेत्र एवं प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र को प्रशासनिक एवं जलीय आधार के तहत एतद्वारा घेषित किया जाता है। इनके सर्वेक्षण संख्याओं का विस्तृत विवरण निर्धारण प्रक्रियानुरूप चरखा किया जावेगा।

क्र.स.	नाम नहर योजना	जल उपयोक्ता संगमों (WUA) का सुभिन्न नाम	जल उपयोक्ता संगमों के अन्तर्गत प्रादेशिक निर्वाचन (टीसी) क्षेत्र का नाम	प्रादेशिक निर्वाचन (टीसी) क्षेत्र का सीसीए हैक्टर में
1.	वल्लभनगर सिंचाई परियोजना	जल उपयोक्ता संगम-1	1. सरजना 2. आकोदडा 3. वल्लभनगर 4. घमानिया 5. शंभुपुरा	68.78 13.35 1223.42 138.34 20.83
2.	वल्लभनगर सिंचाई परियोजना	जल उपयोक्ता संगम-2	1. खालातोड 2. रणछोडपुरा 3. रूपावनी 4. बागथल 5. खोखरवास 6. जोर जी, का खेडा 7. सीमा खेडी	208.77 146.60 158.60 175.60 36.41 142.82 125.30
3.	वल्लभनगर सिंचाई परियोजना	जल उपयोक्ता संगम-3	1. नवानीया 2. कीकावास 3. तारावट 4. रेटेड 5. नेतावला	588.11 611.66 81.38 396.63 357
4.	वल्लभनगर सिंचाई परियोजना	जल उपयोक्ता संगम-4	1. रूपडेडा 2. मोरजाई 3. इण्टाली	1552.50 157.39 263.39
योग:-				6465.00

सहायक अभियंता  
जल संसाधन उपखण्ड  
निर्वा. उदयपुर

अधीक्षक अभियंता  
जल संसाधन खण्ड  
उदयपुर

अधीक्षक अभियंता  
जल संसाधन वृत्त  
उदयपुर

आतिरेक्त मुख्य  
अभियंता जल संसाधन  
सभागा उदयपुर

प्रति हस्ताक्षरित  
जितेन्द्र शर्मा  
उप शासन सचिव अधीक्षण अभियंता  
\* ल.स.बास्ते मुख्य अभियंता, जल संसाधन  
राजस्थान. जयपुर